निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्याः 06/2020 (रसद अपील)

नवल किशोर अग्रवाल पुत्र श्री चिरंजीलाल निवासी 30/23/05 वरूण पथ, मानसरोवर, जयपुर प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकानदार, दुकान संख्या 2 बी, प्रताप कालोनी, आमेर रोड, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 17.12.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 2 बी, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 60 किलोग्राम गेहूं की वसूली राशि 1200/—रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :—

1. श्री के.डी. शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 13.12.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी नवल किशोर उचित मूल्य दुकानदार, दुकान संख्या 2 बी, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 17.12.2020 से निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं 60 किलोग्राम गेहूं का राशि 1200/— रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत उचित मूल्य दुकान संख्या 2 बी, प्रताप नगर आमेर रोड, जयपुर शहर के लिए प्राधिकार पत्र सं,या 42 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो

जिला कलक्टर
जयपुर

के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्ड धारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता है जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 14.10.2019 को इक तरफा आदेश द्वारा अपीलार्थी की अटैच दुकान मैसर्स विश्वगिरी सहकारी उपभोक्ता भण्डार दुकान संख्या 2–ए, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलम्बित करने के आदेश पारित किये तथा अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसमें निम्न अनियमितता का उल्लेख किया गया:– " आप द्वारा राशनकार्ड संख्या 119007608147 में अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड का प्रयोग कर माह दिसम्बर 2018 में 60 किलोग्राम गेहूं उठाया है जो गबन की श्रेणी में आता है । आप द्वारा प्रयोग किये गये गलत आधारकार्ड का ब्यौरा पेश करें एवं 60 किलोग्राम गेहूं की वसूली पेटे राशि 1200/–रूपये राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करे। " उक्त निर्देश पर अपीलार्थी ने दिनांक 21.10.2019 को 1200/– रूपये जरिये चालान संख्या 34481469 के जमा करा दिये। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त नोटिस का जो प्रत्युत्तर दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत किया वह ज्यों की त्यों इस प्रकार है :– " उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राशन कार्ड संख्या 11900760847 में माह दिसम्बर 2018 में 60 किलोग्राम गेहूं गलत आधार कार्ड से दुकान संख्या 2 ए, से निकालने बाबत मुझे नोटिस जारी किया गया है। उक्त कम में निवेदन है कि उक्त राशन कार्ड में अन्य व्यक्ति के आधारकार्ड का इन्द्राज पोश मशीन में मेरे द्वारा नहीं किया गया है। गलत आधारकार्ड राशन कार्ड में उपभोक्ता द्वारा अपने स्तर से फीड करवाया गया है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नही है उपभोक्ता को मेरे द्वारा नवल किशोर ओ टी पी से गेहूं का वितरण किया गया है। श्रीमान के निर्देशानुसार मेरे द्वारा 60 किलोग्राम गेहूं की वसूली पेटे राशि 1200/–रूपये जरिये चालान संख्या 34481469 दिनांक 21.10.2019 द्वारा जमा करा दी गई है। कृपया भविष्य में ध्यान रखा जावेगा। अतः कृपया मुझे जारी नोटिस को निरस्त फरमाते हुये दुकान बहाल करने की कृपा करें। " दिनांक 6.11.2019 के बाद उक्त प्रकरण में ना तो कोई तारीख पेशी दी ई और ना ही मामले में कोई जांच की, ना ही कोई साक्ष्य ली, ना ही अपीलार्थी को सुना गया तथा दिनांक 17.12.2019 को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने इक तरफा में अपना निर्णय पारित कर दिया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। श्री एम खान द्वारा की गई शिकायत व क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व उक्त कार्यवाही संस्थित की गई तथा अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसकी प्रतियां अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस के साथ नहीं भेजी गई जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की घोर अवहेलना हुई है। जिससे आदेश निरस्तनीय है। जैसा कि ए आई आर 2016 पटना 148 रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य में प्रतिपादित किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने कार्यालय आदेश दिनांक 01.08.2018 का अवलोकन नहीं किया जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 2 बी, के साथ उचित मूल्य दुकान संख्या 2 ए संलग्न

जिला कलक्टर
जयपुर

की गई, राशनकार्ड जमीला के नाम का है तथा इस राशन कार्ड द्वारा दिनांक 01.08.2018 से पूर्व उचित मूल्य दुकान नम्बर 2 ए. से गेहूं प्राप्त किया गया। इसलिए उक्त राशन कार्ड पर अपीलार्थी की दुकान से जो गेहूं प्राप्त किया, उस राशनकार्ड में आधार नम्बर पहले से ही फीड किया हुआ था। जमीला पत्नी फैयाज के शपथ पत्र की फोटो कापी अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक राशन कार्डो पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विकय या वितरण से इन्कार नही कर सकता तथा शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्द्राज प्राधिकारधारक राशनकार्डो पर निर्धारित स्थानों पर करने को पाबन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहू का विकय राशनकार्ड धारक को किया गया। जिसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशन कार्ड में दर्ज है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर भी दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य विभाग एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा समस्त जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजीटिल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई और ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने अन्य अनेक मामलों में उक्त अनियमितता के लिए केवल मात्र गेहूं की कीमत जमा करा कर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले –(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहूं की कीमत जमा करायी गई है, तब अपीलार्थी से गेहूँ की कीमत जमा कराने के बावजूद उसके प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग अलग निर्णय पारित नही किये जा सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशनकार्ड संख्या 119007608147 में परिवार सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्ति मोहम्मद हकीम कुरैशी का आधारकार्ड संख्या 461503799050 लिंक करके गेहूं का अवैध आहरण किया गया है।

अति. कलक्टर
जयपुर

एफपीएस डीलर की यह जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधारकार्ड लिंक करके गेहूं की सही सही निकासी करे। आधार कार्ड लिंक करने का कार्य भी एफ पी एस डीलर द्वारा ही किया जाता है। राशन कार्ड संख्या 119007608147 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधार कार्ड को लिंक करके गेहूं की प्रतिमाह अवैद्य निकासी राशन डीलर की लिप्तता के बिना सम्भव नही है। दुकानदार का जबाब संतोषप्रद नही है। राशन डीलर ने अपने बचाव में जवाब के साथ राशनकार्ड संख्या 119007608147 के परिवार के सदस्य मोईन खान के असली आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत नहीं कर राशनकार्ड में फर्जी आधार कार्ड लिंक होने के तथ्य को स्वीकार किया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वास अवैद्य रूप से निकाले गये 60 किलोग्राम गेहूं के बाजार मूल्य 1200/–रूपये की वसूली की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशनकार्ड संख्या 119007608147 में परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिक करके गेहूं की निकासी कर किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है, जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। राशन कार्ड संख्या 119007608147 पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नहीं पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधारकार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नहीं की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये । इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाया गया है ? क्या आधारकार्ड किसी डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा यह भी एक जांच का विषय है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमिता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जाच करें । आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नहीं एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करें एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

13/12/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर